न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः— मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या— 51 / 2023

वादीगण

1. महेन्द्रसिंह पुत्र कल्याणसिंह जाति राजपूत निवासी राजपूत कॉलोनी पीपाडशहर तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर
2. श्रीमति सूरजदेवी पत्नी कल्याणसिंह जाति राजपूत निवासी राजपूत कॉलोनी पीपाड शहर तहसील पीपाडशहर जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादी

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा जिला जोधपुर

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

उपस्थितिः—वादीगण की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट।
प्रतिवादी — सरकारी पेरोकार।

निर्णय दिनांकः— 12/08/24

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बीजासनी तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 11 रकबा 33 बीघा आयी हुयी है। उपरोक्त खातेदारी भूमि पूर्व में वादी सं. 1 के दादा व वादी सं. 2 के ससुर तेजसिंह पुत्र रणवीरसिंह की थी। वादीगण का सजरा खानदान निम्नप्रकार है महेन्द्रसिंह पुत्र देवीसिंह(फौत), सूरजदेवी पत्नी देवीसिंह(फौत), देवीसिंह(फौत), दौलतसिंह, लिछमणसिंह, अमरसिंह पिसरान तेजसिंह(फौत) है। उपरोक्त सजरा खानदान के अनुसार वादी सं. 1 के दादा व वादी सं. 2 के ससुर तेजसिंह का दावे के पद सं. 1 में वर्णित भूमि खातेदारी की थी। खातेदार तेजसिंह पुत्र रणवीरसिंह का देहान्त हो गया। उसके बाद उनकी खातेदारी भूमि उनके चार पुत्र देवीसिंह, दौलतसिंह, लिछमणसिंह, अमरसिंह के नाम से जरिय फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज की गयी। तत्पश्चात देवीसिंह पुत्र तेजसिंह का देहान्त हो गया। देवीसिंह के एक पुत्र महेन्द्रसिंह व पत्नी सूरजदेवी है। वादी सं. 1 के पिता व वादी सं. 2 के पति कल्याणसिंह को घर में लाड प्यार से देवीसिंह पुकारते थे और वादी सं. 1 के पिता व वादी सं. 2 के पति का सरकारी दस्तावेज में उनका नाम कल्याणसिंह लिखा हुआ है। जब वादी सं. 1 के दादा व वादी सं. 2 के ससुर तेजसिंह जी का देहान्त हुआ तब हल्का पटवारी ने भूलवश या त्रुटिवश उनका फौतेदगी नामान्तरकरण में

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

वादी सं. 1 के पिता व वादी सं. 2 के पति कल्याणसिंह के बजाय देवीसिंह दर्ज कर दिया। जबकि कल्याणसिंह व देवीसिंह एक ही व्यक्ति है, जो तेजसिंह पुत्र रणवीरसिह का जायन्दा पुत्र है। वादी सं. 1 व 2 के पक्ष में विवादित भूमि का बख्शीशनामा निष्पादित किया गया, उस समय बख्शीशनामा में वादी सं. 1 के पिता व वादी सं 2 के पति ने भूलवश या त्रुटिवश अपना नाम देवीसिंह लिखवा दिया तथा अपनी पत्नी का नाम सूरजदेवी के बजाय सूरजकंवर दर्ज करवा दिया जबकि वादी सं. 1 के सरकारी दस्तावेजों मे अपने पिता का नाम कल्याणसिंह तथा वादी सं. 2 के सरकारी दस्तावेजों में अपना नाम सूरजदेवी तथा अपने पति का नाम कल्याणसिंह दर्ज है। वादीगण अभी एक माह पूर्व अपनी खातेदारी की कृषि भूमि पर ऋण लेने हेतु बैंक के समक्ष गये और अपनी उपरोक्त खातेदारी भूमि पर ऋण देने हेतु का निवेदन किया और अपने सरकारी दस्तावेज आधारकार्ड, परिचय पत्र, पैनकार्ड, राशनकार्ड, बैक डायरी, सर्विस बुक आदि दस्तावेज बैक मैनेजर साहब के समक्ष पेश किये, जिस पर बैक मैनेजर साहब ने दस्तावेज देखकर बताया कि आपके सरकारी दस्तावेज में आपके पिता का नाम कल्याणसिंह दर्ज है तथा जमाबंदी में देवीसिंह लिखा हुआ है इस प्रकार वादी सं. 2 के सरकारी दस्तावेज में श्रीमति सूरजदेवी पत्नी कल्याणसिंह दर्ज है तथा जमाबंदी में श्रीमति सूरजकंवर पत्नी देवीसिंह दर्ज किया हुआ है जिस पर बैंक मैनेजर ने ऋण देने से मना कर दिया और वादीगण को कहा कि राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में शुद्धि आदि करवायी जावे, जिस पर वादीगण ने बख्शीशकर्ता के घर बीजासनी में जाकर सम्पर्क किया तो जानकारी हुयी कि बख्शीशकर्ता का देहान्त हो चुका है तो वादीगण ने प्रतिवादी से राजस्व रेकर्ड में शुद्धि कराने का निवेदन किया, जिस पर उन्होने शुद्धि कराने से मना कर दिया, इस कारण वादी सं. 1 को राजस्व रेकर्ड में अपने पिता देवीसिंह के स्थान पर कल्याणसिंह तथा वादी सं. 2 का राजस्व रेकर्ड में अपने स्वयं का नाम व पति का नाम सूरजकवंर पत्नी देवीसिंह के स्थान पर श्रीमति सूरजदेवी पत्नी कल्याणसिंह नाम की घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती करवाने हेतु का यह दावा पेश करना पड रहा है। वादीगण ने विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 11/2 रकबा 3.2360 हैक्टयर की खातेदारी के विरूद्ध तहसीलदार या अन्य किसी के न्यायालय में कही कोई आपति एतराज या अपील रिवीजन आदि पेश नहीं की है। वादी सं. 1 व 2 के पक्ष मे बख्शीशनामा निष्पादित किया, उस समय वादी सं.1 के पिता व वादी सं. 2 के पति ने भूलवश या बीना जानकारी के अपना नाम कल्याणसिंह के बजाय देवीसिंह तथा अपनी पत्नी सूरजदेवी के बजाय सूरजकंवर दर्ज करवा दिया, जबकि वादीगण के सरकारी दस्तावेज महेन्द्रसिंह पुत्र कल्याणसिह व श्रीमति सूरजदेवी पत्नी कल्याणसिंह के नाम से जारी किये हुये है। अतः बख्शीशनामा दस्तावेज दिनांक 22.07.1976 में वादी सं. 1 का पिता का तथा वादी सं. 2 को नाम सूरजकंवर व पति का नाम देवीसिंह गलत अंकित करना एक माननीय भूल रह गयी, जिसे घोषणा के जरिये दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। दावा घोषणा खातेदारी एवं रेकर्ड दुरूस्ती के होने से तथा विवादग्रस्त

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

भूमि ग्राम बीजासनी तहसील बिलाडा में स्थित होने से दावा माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है।

अतः प्रार्थना वादीगण यह कि दावा वादीगण बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर ग्राम बीजासनी तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 11/2 रकबा 3.2360 हैक्टयर के राजस्व रेकर्ड में महेन्द्रसिंह पुत्र देवीसिंह के स्थान पर महेन्द्रसिंह पुत्र कल्याणसिंह तथा श्रीमति सूरजकंवर पत्नी देवीसिंह के स्थान पर श्रीमतिं सूरजदेवी पत्नी कल्याणसिह की घोषित फरमायी जावे एवं इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने का आदेश फरमावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी के नोटिस बाद तामिल पेश हुए। प्रतिवादी सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बीजासनी के खसरा नम्बर 11/2 रकबा 20–00 बीघा श्रीमति सूरजकंवर पत्नि देवीसिहं 1/2 व महेन्द्रसिंह पुत्र देवीसिंह 1/2 जाति राजपूत की संयुक्त खातेदारी भूमि है। पद सं. 2 व 3 का जवाब वादी स्वयं साबित करें। पद सं. 4 का जवाब इस प्रकार है कि नामान्तरकरण सं. 182 के जरिये बख्शीशनामा ख.नं. 11 में से 20 बीघा भूमि श्रीमति सूरजकंवर पत्नी देवीसिंह 1/2 महेन्द्रसिंह पुत्र देवीसिह 1/2 जाति राजपूत सा.देह खातेदार के नाम हुई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य आधारकार्ड, पेनकार्ड, सर्विस बुक व बैंक डायरी में पिता का कल्याणसिंह दर्ज है। पद सं. 6 से 8 कानूनी है। पद सं. 9 व 10 न्यायिक है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण के ग्राम बीजासनी के ख.न. 11/2 रकबा 3.2360 हेक्टयर में जरिये बख्शीनामा से दर्ज प्रविष्टि महेन्द्रसिंह पुत्र देवीसिंह व सूरजकंवर पत्नी देवीसिंह के स्थान पर महेन्द्रसिंह पुत्र कल्याणसिह व सूरजदेवी पत्नी कल्याणसिंह करवाना चाहते है। प्रतिवादी की ओर से दावा को स्वीकार करने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जिसें शामिल पत्रावली किया गया। वादीगण की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र महेन्द्रसिंह पुत्र कल्याणसिंह का पेश किया गया।

वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 के खाता सं. 11/2 , प्रदर्श 2 पैनकार्ड, प्रदर्श 3 ड्राईविंग लाइसेन्स, प्रदर्श 4 बैंक डायरी, प्रदर्श 5 परिवार राशन कार्ड राजपूत कॉलोनी पीपाड शहर के प्रदर्शित करवाये गये।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 पैनकार्ड महेन्द्रसिह पुत्र कल्याणसिंह, प्रदर्श 2 ड्राईविंग लाइसेन्स महेन्द्रसिह पुत्र कल्याणसिंह, प्रदर्श 3 एस.बी.बी.जे.बैंक महेन्द्रसिह पुत्र कल्याणसिंह, प्रदर्श 4 पैनकार्ड सूरजदेवी, प्रदर्श 5 आधार कार्ड सूरजदेवी पत्नी कल्याणसिंह, प्रदर्श 6 आरजीएचएस कार्ड सूरजदेवी, प्रदर्श 7 एस.बी.आई बैंक डायरी सूरजदेवी पत्नी कल्याणसिंह, प्रदर्श 8

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

भामाशाह कार्ड सूरजदेवी पत्नी कल्याणसिंह, प्रदर्श 9 परिवार राशन कार्ड सूरजदेवी पत्नी कल्याणसिह आदि पेश किये। इन सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि वादीगण के सरकारी दस्तावेजात में वादीगण का नाम महेन्द्रसिंह पुत्र कल्याणसिह तथा सूरजदेवी पत्नी कल्याणसिंह दर्ज किया हुआ है, लेकिन राजस्व रेकर्ड में वादीगण का नाम महेन्द्रसिंह पुत्र देवीसिह व सूरजकंवर पत्नी देवीसिंह के नाम से दर्ज है। वादीगण अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही नही कर पा रहा है, इस कारण वादीगण के राजस्व रेकर्ड में अपना नाम महेन्द्रसिंह पुत्र कल्याणसिह तथा सूरजदेवी पत्नी कल्याणसिंह की घोषणा कराने का अधिकारी है। साथ ही भूमिधारी ने महेन्द्रसिंह पुत्र देवीसिह व सूरजकंवर पत्नी देवीसिह के स्थान पर महेन्द्रसिंह पुत्र कल्याणसिह तथा सूरजदेवी पत्नी कल्याणसिंह किये जाने की रिपोर्ट पेश की है। इसलिए वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम बीजासनी के खसरा नम्बर 11/2 रकबा 3.2360 हैक्टयर राजस्व रेकर्ड में महेन्द्रसिंह पुत्र देवीसिंह व सूरजकंवर पत्नी देवीसिंह के स्थान पर महेन्द्रसिंह पुत्र कल्याणसिह तथा सूरजदेवी पत्नी कल्याणसिंह की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा तयार हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 24/04/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.**

वादीगण

1. महेन्द्रसिंह पुत्र कल्याणसिंह जाति राजपूत निवासी राजपूत कॉलोनी पीपाडशहर तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर
2. श्रीमति सूरजदेवी पत्नी कल्याणसिंह जाति राजपूत निवासी राजपूत कॉलोनी पीपाड शहर तहसील पीपाडशहर जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादी

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा जिला जोधपुर

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 51/2023

निर्णय   दिनांक :– 12/08/24

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम बीजासनी के खसरा नम्बर 11/2 रकबा 3.2360 हैक्टयर राजस्व रेकर्ड में महेन्द्रसिंह पुत्र देवीसिंह व सूरजकंवर पत्नी देवीसिंह के स्थान पर महेन्द्रसिंह पुत्र कल्याणसिह तथा सूरजदेवी पत्नी कल्याणसिंह की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – तैसिल – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व रहेत – सालाना आज को तारीख में तारीख वसूलयाबी तक –की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12/8/24 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा